न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 146/2018 **दायरा दिनांक : 23.10.2018**

उनवान

1— समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामठी भवानीमण्डी जिला झालावाड़ राजस्थान जर्ये घनश्याम नाथ पुत्र संतूनाथ आयु 52 वर्ष जाति नाथ जर्ये अध्यक्ष समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामठी (भवानीमण्डी) जिला झालावाड़

2— रामचन्द्र नाथ पुत्र संतूनाथ, आयु 50 वर्ष, जाति नाथ जर्ये उपाध्यक्ष समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामठी (भवानीमण्डी) जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रामलाल पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी बाल निकेतन के पास, सिन्धी मोहल्ला भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राजस्थान)

2— बाबूलाल पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी बाल निकेतन के पास, सिन्धी मोहल्ला भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राजस्थान)

3— लालचन्द पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी बाल निकेतन के पास, सिन्धी मोहल्ला भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राजस्थान)

4— तेजपाल पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी बाल निकेतन के पास, सिन्धी मोहल्ला भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राजस्थान)

5— कन्हैयालाल पुत्र देवा, जाति मीणा, निवासी बाल निकेतन के पास, सिन्धी मोहल्ला भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राजस्थान)

6— प्रभूलाल पुत्र धूमनाथ, जाति नाथ बाबा, निवासी केतडी बाजार जाट का गोदाम भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 28/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड में खाता संख्या 250 नया व 233 पुरानी की खसरा नम्बर 226 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा स्थित है यह आराजी मौजूदा खाते में समस्त नाथान साकिन रामठी के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का सैटलमेंट से पूर्व का नम्बर 166 मिन था जिसका नया नम्बर 226 बना है किन्तु रकबे में कोई परिवर्तन नहीं आया रकबा पहले भी 1 बीघा 9 बिस्वा था तथा अब भी इतना ही हे । वादग्रस्त आराजी पर करीब 60 वर्षों से भी ज्यादा समय से वादीगण के पिता देवा आत्मज माधु जाति मीणा निवासी भवानीमण्डी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा आज भी वादीगण के कब्जे काश्त में है । इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण का एडवर्स पजेशन है तथा वादीगण को इस आराजी पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । वादीगण के पिता का स्वर्गवास अरसा करीबन 33 वर्ष पूर्व हो चुका है देवा जी जीवित थे तभी से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसको 60 वर्षों से भी वादीगण का कब्जा

खण्डित नहीं हुआ । आराजी की बढ़ती कीमतों के कारण व खाते में समस्त नाथान का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी के मन में बदनियति व बदयान्ति आ रही है तथा वह आराजी को मदाखलत व मजाहमत कर जबरन कब्जा करना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रभू लाल आत्मज धूमनाथ, जाति नाथ बाबा, निवासी केतडी बाजार जाट का गोदाम भवानीमण्डी जिला झालावाड का उक्त खसरा नम्बर 226 की 1.09 बीघा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है फिर भी रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 5 के द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के लिये रेस्पोडेंट नम्बर 6 को पार्टी बनाकर और उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्मन की विधिवत इत्तला हुये बिना ही गलत तौर पर इत्तला करवा दी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही इत्तला मानकर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करवा दी तत्पश्चात् एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 229 रकबा 1.09 बीघा ग्राम भवानीमण्डी तहसील पचपहाड पर विगत 60 वर्षों से अपने कब्जे काश्त में होना जाहिर किया है, परन्तु उनके द्वारा उनके कब्जे के संबंध में कोई खसरा गिरदावारी नियमित कब्जे के बारे में प्रस्तुत नहीं की, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 5 सैटलमेंट से पूर्व 226 की 1.09 बीघा अपने खाते में दर्ज होना बताते थे और वर्तमान में जो वाद उनके द्वारा प्रस्तुत किया है उसमें एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त आराजी को अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते हैं । इस प्रकार रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 कानूनन 2 प्ली एक साथ नहीं ले सकते हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से

आना चाहिए था। सन् 2011 के पश्चात् विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार पारित नहीं किये जा सकते। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.09.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक अपीलांट ने आर आर डी 1993 पेज 246 एवं आर आर डी 1990 पेज 479 नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपील स्वीकार्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा